"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 265] रायपुर, शनिवार, दिनांक 6 जून 2020 — ज्येष्ठ 16, शक 1942

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 6 जून 2020

अधिसूचना

क्रमांक 4383/1037/21-ब/छ.ग./2020. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 सहपठित अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, -

नियम 12 के उप-नियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् : -

"(5) उच्चतर न्यायिक सेवा का कोई भी सदस्य, जिन्हें उच्च न्यायालय द्वारा अन्य विभाग/राज्य में नियोजन के लिये अनुमति दिया जाता है/ अनापत्ति प्रमाणपत्र दिया जाता है/जिनके आवेदन को अग्रेषित किया जाता है, इस आशय का एक बाँड प्रस्तुत करेगा कि उसके अंतिम चयन एवं सेवा से उसके पद त्याग की दशा में, वह, एक माह की पूर्व सूचना या ऐसे पद त्याग के समय उसके बदले में एक माह का वेतन देगा।"

No. 4383/1037/XXI-B/C.G./2020.— In exercise of the powers conferred by Article 233 read with the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, in consultation with the High Court of Chhattisgarh , hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Higher Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

After sub-rule (4) of rule 12, the following shall be inserted, namely :-

"(5) Any member of the Higher Judicial Service, who is allowed permission/NOC/forwarding of his/her application seeking employment in other department/State by the High Court, shall submit a bond to the effect that in the event of eventual selection and relinquishment of his/her service, he/she shall serve one month's prior notice or one month salary in lieu thereof at the time of such relinquishment."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, अटल नगर, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2020.